संख्या:27/2021/1310/सत्रह-म-2021-17-1099/1174/ 2019

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर,2021

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु पुनवर्नियोग/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 542/नि0शा0/ 2021-22 दिनांक 03 नवम्बर.2021 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैंन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के0ऊ0/रा0 50-के+रा0), 42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 (रू0 बीस लाख मात्र) का लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन,89- केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का का संगत राज्यांश, 05- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना-42- अन्य व्यय के नाम से नवसृजित विस्तृत लेखाशीर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि पूर्व में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत संचालित की जा रही थी, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश का वित्त पोषण निर्धारित था। भारत सरकार अपना केन्द्रांश सीधे नोडल एजेन्सी फिशकोफेड नई दिल्ली को उपलब्ध कराती थी। तदोपरान्त मैंचिंग राज्यांश की धनराशि नोडल एजेन्सी फिशकोफेड को शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मछुआ दुर्घटना बीमा योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए मछुआरों के लिए बीमा अन्तर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के वित्त पोषण के आधार पर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआरों के लिए बीमा अन्तर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। उक्त योजना को प्रदेश में संचालित किये जाने हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद के पत्र संख्या-NFDB/ Tech5/Fisheries Insurance / 2018-19 दिनांक 03.09.2020 द्वारा दिशा- निर्देश प्रख्यापित काते हुए इसे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपने पत्र संख्या –M&E/GIAS/2018-19/550 दिनांक 09.08.2021 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

3- भारत सरकार द्वारा मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना संचालित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैन के अन्तर्गत 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू0 20.00 लाख का उपभोग किये जाने के उददेश्य से लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 05- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना- 42- अन्य व्यय नाम से वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-708/दस-2021-12(2)/2020 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 द्वारा नवीन विस्तृत शीर्ष का सृजन किया गया है।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैंन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के0/रा0 50-के+रा0), 42- अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख में से, लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन,89- केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का का संगत राज्यांश, 05- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना -42- अन्य व्यय के नाम से नवसृजित शीर्ष में मात्र रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलान्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(5) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/ बी-1/375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनिन्शयल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर आफ फिशरमैंन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के0/रा0 50-के+रा0), 42- अन्य व्यय में से लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन,89- केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का का संगत राज्यांश, 05- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के पुनर्विनियोग के संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र में अंकित आर0ई0 संख्या-159, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक – प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या- 27/2021/1310(1)/17-1099/1174/ 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3।
(6) गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य)

वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्षक (15डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग/	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग(5-2)
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन,800- अन्य व्यय, 02-नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर अफ फिशरमैंन, 0201- मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना(के050/रा050- के0+रा0) 42- अन्य व्यय, (240580002020142)	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**
योग -	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेशाशीर्षक(15डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / पुनर्विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि 8-9 ()	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग /)11-8 (
7	8	9	10	11	12
2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 05- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना, 42- अन्य व्यय) (240500101890542	**0.00**	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**
योग -	**0.00**	**20.00**	**20.00**	**10.00**	**10.00**

http://shasnadesh.up.nic.com

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण।

आर0ई0 संख्या- 159 / ई-1-दस-2021 दिनांकः 03 दिसम्बर , 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(क) भारत सरकार द्वारा मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर नवीन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दिये जाने के कारण उक्त आवंटित धनराशि का व्यय किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत व्यय है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (उप सचिव)

प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....

नाम व पदनाम- (फूल चन्द यादव)

अनु सचिव,वित्त।

संख्याः 27 /2021 / 1310 (1)/ 17-1099/1174/ 2019 दिनांकः 16 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

2- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) ।

5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम- कृपा शंकर यादव (उप सचिव)

प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

http://shasnadesh.up.nic.com

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।